न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुरेश राव (आर.ए.एस.)
वाद संख्या –26 / 2024
सी.सी.एम.एस नं. –2024 / 49

कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी चक–2 डी.एस.एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील उपस्थित

1. श्री हंसराज डाल एडवोकेट — वादी की ओर से
2. राज पैरोकार — प्रतिवादी की ओर

–:: निर्णय ::– **दिनांक–15.01.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक–3 एन.एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–24 / 49 मुरब्बा नं.–15 का किला नं.–8, 9, 11 ता 13, 18 ता 20 प्रत्येक का 0.253, 21 / 2 का 0.227, 22 / 2 का 0.227, 23 / 2 का 0.228, 25 / 4 का 0.014 हैक्टर कुल 2.720 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व इंसी चक का खाता सं. नया 52 पुराना 102 का पत्थर सं.–24 / 49 मुरब्बा नं.–15 का किला नं.–1 का 0.227 हैक्टर, 2 का 0.253 हैक्टर, 10 का 0.253 हैक्टर कुल 0.733 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम किशनाराम पुत्र मनफूल के नाम से संयुक्त रूप से भानीराम पुत्र मनफूल के साथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलग्नं वाद पत्र हैं वादी का नाम कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम है लेकिन वादी का घरेलू नाम किशनाराम होने के कारण वादी को घर पर रिश्तेदारी में दोनो नामो कृष्णलाल व किशनाराम के नाम से जानते व पुकारते थे वादी यहां यह स्पष्ट करना उचित समझता है यह वाद पत्र कृषि भूमि वादी व उसके भाई भानीराम को विरास्तन प्राप्त होकर सयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी चूंकि वादी के पिता मृत्यू उपरांत वादी के परिवार के सदस्यों द्वारा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिऐ जो वारिस नामा ग्राम पंचायत से जारी करवाया गया उसमें सहबन से वादी के सही नाम कृष्णलाल के स्थान पर वादी का घरेलू नाम किशनाराम अंकित करवा दिया गया था तथा उसी आधार पर आगे विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कृष्णलाल के स्थान पर किशनाराम दर्ज हो गया था चूंकि वादी [illegible] परिवार ग्रामिण परिवेश का था। वादी भी ग्रामीण परिवेश का होने का काश्तकार पेशे [illegible] व्यक्ति वारिसनामा के समय वादी के परिवार के सदस्यों की भूलवश सहबन से वादी का घरेलू [illegible] किशनाराम पुत्र मनफूल दर्ज कर दिया गया था तत्पश्चात राज[illegible] किशनाराम पुत्र मनफूल के नाम से दर्ज जो कि एक सदभाविक व [illegible] था वास्तविक नाम कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम ही है तथा वादी के आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड आदि जिनकी प्रतियां सलग्नं है, में वादी का नाम कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम ही दर्ज हैं लेकिन वादी के घर मे वादी को उसके घरेलू नाम किशना के नाम से पुकारते थे इसलिऐ वादी का नाम वादी के परिवार के सदस्यो द्वारा वारिसनामा में वादी का वादी का घरेलु नाम किशनाराम ही दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Rao
Date: 2025.04.28 18:39:51
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

करवा दिया गया था जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम कृष्णलाल ही है इस प्रकार कृष्णलाल व किशनाराम वादी के ही नाम है तथा वादी को इन दोनो नामो से ही जाना व पुकारा जाता है। जिस सम्बधं में ग्राम पंचायत 11/12 एन डी नाहरांवाली द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है जो सलग्नं वाद पत्र हैं यह कि वादी जो कि ग्रामिण परिवेश का व्यक्ति हैं वादी को पुर्व मे उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नंही था अब वादी उक्त कृषि भूमि पर प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि के सम्बधं में अरसा 10 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देखकर बताया कि आपका यानि कृष्णलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है बल्कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड मे किशनाराम पुत्र मनफूल दर्ज है जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम कृष्णलाल है और घर पर उसे उसके घरेलू नाम किशनाराम के नाम से बुलाते है ओर कृष्णलाल व किशनाराम दोनो नाम मेरे ही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवाने के लिऐ माननीय न्यायालय मे चाराजोही करने के लिऐ कहा जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र हैं यह कि वादी का सही व दस्तावेजी नाम कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम है लेकिन सहबन से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में उसके घरेलू नाम किशनाराम दर्ज हो गया है जो कि एक सदभाविक एवं मानवीय भुल है भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में नाम अलग–अलग होने के कारण वादी को काफी मुशकिलात का सामना करना पड रहा है। क्योकिं राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम गलत रूप से किशनाराम दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि में वादी का नाम कृष्णलाल दर्ज हैं जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की भूमि के सम्बध में बैकं इत्यादि से सहायता राशि व अन्य सुविधाएँ आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानीयों का सामना करना पडेगा इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहबन से गलत दर्ज हुऐ नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में वादी को दो अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानीयों का सामना ना करना पडे और वादी अपने सही व वास्तविक नाम कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। ऐसी स्थिति में वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा हैं अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न रूप से निर्णीत एवं डिक्री फरमाया जावें इस अमर की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र में दर्ज सयुक्तं खाता की कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में दर्ज कृषि भूमि जो वादी के किशनाराम पुत्र मनफूल के नाम से दर्ज है, के सबंध में वादी के खातेदार अधिकार की घोषणा की जाकर कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में वादी का नाम सही नाम कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनूपगढ चक–3 एन.एम का पत्थर नं.–24/49, का किला नं.–1, 2, 8 ता 13, 18 ता 20, 22/2, 23/2, 25/2 का 3.453 हैक्टर कमाण्ड/अकमाण्ड रकबा के सयुक्त खाते मे से किशना [illegible] जाति जाट के हिस्सा 1/2 खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। त[illegible] 11/12 एनडी (ना[illegible]) के रहन दर्ज हैं मुताबिक मौका जांच व पुछताछ एवं ग्राम पंचा[illegible] द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के अनुसार किशनाराम पुत्र मनफूलराम व कृष्णलाल [illegible] एक ही व्यक्ति के नाम हैं प्रार्थी के रोजमररा में काम आने वाले दस्तावेजो मे जैसे आ[illegible] कार्ड, पहचान–पत्र ,परिवार राशन कार्ड व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र मे प्रार्थी का नाम कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम हैं अतः प्रार्थी का नाम किशना पुत्र मनफूलराम की जगह पर कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम की दुरुस्ती की जानी उचित हैं रिपोर्ट के साथ वादी स्वय का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत 11/12 एन.डी वर्ष 2024 मे जारी प्रमाण–पत्र दैनिक डायरी आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh K Rao
Date: 2025.04.28 18:39:51
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कमाकः–भू.अ./2024/3839 दिनांक–13.11.2024, ग्राम पंचायत 11/12 एन.डी वर्ष–2024 मे जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर वादी का नाम किशनाराम पुत्र मनफूलराम के स्थान पर किशना उर्फ कृष्णलाल पुत्र मनफूल दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है अत एवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक–3 एन.एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–15 पत्थर सं. –24/49 वादी का हिस्सा 1/2 खातेदार कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादी का नाम किशना पुत्र मनफूल के स्थान पर किशना उर्फ कृष्णलाल पुत्र मनफूल का अंकन किया जावें।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक–15.01.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 18:39:51 IST
Reason: SelfAttested